ंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 17.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 17.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2267 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी सन्तोष कंवर , फेफ सिंह, सुरसिंह, शैतानसिंह, तुफानसिंह ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान अजीतसिंह व श्रवणसिंह तथा भू.अभि.निरीक्षक तरनाउ की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा डेरोली तहसील जायल के खेत खसरा नं. 146, 327/146, 326/179, 179, 328/179 का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा डेरोली तहसील जायल के खेत खसरा नं. 146, 327/146, 326/179, 179, 328/179 का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण संख्या 1 से 5 कमश अमरसिंह, गजेन्द्रसिंह, नन्दूसिंह, पिंकी कंवर पुत्री जब्बरसिंह, संतोष कंवर पत्नी जब्बरसिंह के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेरोली का खेत खसरा नंबर 146 रकबा 0.9632 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
2. वादी संख्या 6 फेफसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेरोली का खेत खसरा नंबर 327/146 में से 0.4775 हैक्टेयर उतरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता हैं।
3. वादी संख्या 7 सुरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेरोली का खेत खसरा नंबर 327/146 में से 0.4776 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता हैं।

Scanned with CamScanner

4. प्रतिवादी संख्या 1 शैतानसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेरोली का खेत खसरा नंबर 326/179 रकबा 0.4856 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 179 रकबा 0.4856 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 तुफानसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेरोली का खेत खसरा नंबर 328/179 रकबा•9632 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो तथ रहन खसरान् यथावत बैंक के रहन रहेंगें।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/03/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner